

# संचालनालय आयुष, म०प्र०

(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in  
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931  
Fax (0755) 2760225

दिनांक: 13/10/2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातकोत्तर प्रथम चरण (स्टेट कोटा) काउंसिलिंग कार्यक्रम (संशोधित)-  
-एमडी/एमएस आयुर्वेद/एमडी होम्योपैथी/एमडी यूनानी/एमडी नैचरोपैथी एवं योग-

म०प्र० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2023 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली/म०प्र० शासन आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम०पी० ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।


प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 11/10/2023 से 16/10/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 11/10/2023 से 17/10/2023 प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
3	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 18/10/2023
4	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 19/10/2023
5	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 20/10/2023 से 24/10/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
6	सीट आवंटन	दिनांक 31/10/2023 सायं 04 बजे
7	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 01/11/2023 से 04/11/2023 प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक
8	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 01/11/2023 से 05/11/2023 सायं 06 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान (पीजी) महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 5- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं एम०पी० ऑनलाइन पोर्टल-  
[www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
प्र०संयुक्त संचालक  
संचालनालय आयुष म०प्र०